

श्री० नारायण चन्द पराशर : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पहाड़ी इलाकों के बारे में प्रश्न है और श्री पहाड़िया ने उत्तर दिया है, परन्तु इस बारे में उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिये। जब माननीय गृह मंत्री ने, जो उस समय सचार मंत्री थे, यह निर्णय लिया कि बिक्राम प्रखण्ड मुख्यालयों को कैटेगरी स्टेशन बना दिया जाये, तो उन्होंने महात्मा गांधी के एक स्वान की साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। अब ब्लाक डेवलपमेंट हैडक्वार्टर हमारे नए विकास का केन्द्र होगा। लेकिन यह अफसोस की बात है कि लगभग छठ महीने गुजरने के बाद भी वहां एक भी पी० सी० ग्राम नहीं सल पाया है। क्या मैं यह आशा करूँ कि यह कार्य द्रुत गति में आगे बढ़ेगा, और जिस आशा का लेकर यह निर्णय किया गया था वह पूरी होगी ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया माननीय सदस्य ऐसी आशा करने सल सक्त है।

श्री० नारायण चन्द पराशर : रिमाल न प्रदेश में एक ब्लाक मुख्यालय है बगाना, जो मेरे क्षेत्र में है। मंत्री महोदय न उमका नाम नहीं लिया है। क्या वहां पर भी पी० सी० ग्राम स्थापन पर विचार किया जायेगा ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया बगाना के अलावा हमने दो और स्थाना पर पी० सी० ग्राम स्थापन किये हैं। उनके नाम हैं बरवागांव और चिरगांव।

श्री परिपूर्णानन्द वैश्याली : उत्तर प्रदेश सरकार के पोस्ट मास्टर जनरल न कुछ समय पहले हमें एक नोट भेजा था, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के छठ पहाड़ी जिलों में 1973 में 21 जगहों पर सल डिस्टेंस पी० सी० ग्राम स्थापने का प्रस्ताव था, किन्तु वे अभी तक नहीं काले गये हैं। इसके अलावा उनका प्रस्ताव था कि उत्तर प्रदेश

के पहाड़ी जिलों में 55 ब्लाक हैडक्वार्टरों में टेलीफोन एक्सचेंज लगेगे। जैसा कि मंत्री महोदय को ज्ञात है, उत्तर प्रदेश के हिमाली एरियाज न केवल बैकवर्ड हैं, बल्कि वे सेमिडिक्व बांडर एरियाज भी हैं। वहां कम्यूनिकेशन की फैसिलिटीज न होने के कारण आमन को भी दिक्कत है और जनता को भी दिक्कत है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इस विनीय वष में टाय प्रायटी, सर्वोच्च प्राथमिकता, के आधार पर इन ब्लाक हैडक्वार्टरों में टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था करेगे।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह फैला कुछ दिन पूर्व हुआ था कि ब्लाक हैडक्वार्टरों को कैटेगरी स्टेशन बनाया जायेगा। उमम न केवल उत्तर प्रदेश के ब्लाक हैडक्वार्टरों हैं, बल्कि सारे हिन्दुस्तान के ब्लाक हैडक्वार्टरों हैं। हा पी० सी० ग्राम प्रावांटेड नहीं किये गये हैं, उनके वार में विचार किया जा रहा है, बशर्ते कि हमने जा नर्ने दी हुई है, वे उनका पूरा करन हा।

Nationalization of Coal Mines Challenged by Public Sector Banks

*409 SHRI INDRAJIT GUPTA:
Will the Minister of ENERGY be
pleased to state:

(a) whether the public sector banks including Allahabad Bank have challenged the validity of the nationalisation of the coal mines;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF ENERGY
(SHRI K C PANT): (a) to (c).
The Allahabad bank, Calcutta, filed in September, 1974, a petition in the High Court of Calcutta, against the Coal Mines Authority and the

Equitable Coal Company Ltd. with a view to protecting its interests in relation to recovery of its substantial advances made to the Coal Company. The Bank has since reconsidered the matter, in consultation with the Government and has intimated that it is taking necessary steps to withdraw the petition. In order that full information may be made available, I have requested my colleague, Shri Pranab Kumar Mukherjee to answer the supplementaries.

SHRI INDRAJIT GUPTA: First of all, let me say this is not a supplementary, because the reply given just now does not cover the various points given in the first part of the question. The first part of my question was whether the public sector banks, including the Allahabad Bank, have challenged the validity of the nationalisation of the coal mines. He has not said whether any other banks, apart from the Allahabad Bank, are involved or not. The second question was whether or not they also challenged the validity of the nationalisation, apart from contesting their claims. He has not replied "yes" or "no". So, I cannot ask any supplementary until I get full information.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): With your permission, Sir, I may inform the hon. Member that it was not the intention of the Allahabad Bank to challenge the validity of the nationalisation of the coal mines.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I am not concerned with the intention. Is it a fact that the plaint in the court challenged nationalisation?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: In order to assert their rights and protect their interests, they filed a writ petition in the Calcutta High Court, where they wanted some clarification about section 3 of the Coalmines Nationalisation Act.

SHRI INDRAJIT GUPTA: About the validity?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: Not about the validity. They wanted a direction of the court in regard to the stocks which were at the pitheads of the Equitable Coal Company to get back their dues from that company. It was not about the validity of nationalisation.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Any other banks?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: We have no information.

SHRI INDRAJIT GUPTA: They may not have the information, because even this information was not originally produced by the Government. It was kept in the dark until some members who were active in these matters brought it to light. Now they say "we have no information".

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: No other bank has filed any writ.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Firstly, what is the amount involved, as far as the Allahabad Bank is concerned, which it is claiming on account of the advances made to the Equitable Coal Company, or to other mines, which have now under the Coalmines Authority? What is the amount involved for which they filed this petition?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: Rs. 1 crores and 22 lakhs. That was due from the Equitable Coal Company.

SHRI INDRAJIT GUPTA: What about CMA?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: It was due from the Equitable Coal Company. When all assets were transferred to the CMA, naturally, the dues were on the CMA.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I would like to know from both these Minis-

ters, whoever of them cares to reply, whether the Government has any information or whether they have tried to find out whether, just on the eve of nationalisation of the non-coking coal mines which took place, as far as I remember sometime in January, 1973, perhaps, some of these private coal mines got some scent of the fact that nationalisation might take place, and a number of these private coal mines at that time took very large advances from some of these nationalised banks being quite sure that in the event of nationalisation taking place at an early date, these will become bad debts and they would not have to repay them.

Have they any information on this? Can they tell the House something about it as to how many private coal mines took large advances from the nationalised banks on the eve of nationalisation or a short period before nationalisation whether that these loans have been written off as bad debts, a loss for ever, and this money cannot be recovered?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: So far as the banks are concerned, I will require some time to collect the information

SHRI INDRAJIT GUPTA. Why? I seek your protection, Sir. He has come here specially for this purpose. The Question was not addressed to him. He should have all the facts. I want to know whether the banks have given large advances to private coal mines before nationalisation and whether these amounts have now become bad debts.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: The Question was about the Allahabad Bank with reference to a particular case.

SHRI INDRAJIT GUPTA: You read the Question. It says, public sector banks, including the Allahabad Bank.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: Other banks have not filed any suit.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Have you any information in your Ministry as to how many private coal mines on the eve of nationalisation took large advances from the public sector banks calculating that these would be written off as bad debts in the event of nationalisation?

SHRI K. C. PANT: Sir, the Question reads:

"(a) whether the public sector banks including Allahabad Bank have challenged the validity of the nationalisation of the coal mines,

(b) if so, the main features thereof, and

(c) the reaction of the Government thereto?"

We cannot go very far. We will have to collect information

MR SPEAKER Shri Shankar Dayal Singh

श्री शंकर बहाल सिंह मूल प्रश्न के उत्तर में उर्जा मंत्री ने यह बताया था कि सरकार द्वारा नेशनलाइजेशन के बाद बैंकों ने राष्ट्रीयकरण की वैधता को चुनौती दी तथा अब सरकार ने सलाह मंत्रिषे के अनुसार उसके विद्विधान की बात चल रही है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इलाहाबाद बैंक तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक ने इस तरह क वैधता को चुनौती देने से पहले सरकार में कोई मंत्रिषिग किया था और क्या वित्त मंत्री के नोलेज में यह बात थी कि राष्ट्रीयकृत बैंक कोयने के राष्ट्रीयकरण वैधता को चुनौती देने जा रहे हैं? क्या उन्होंने किसी फाइल पर इसमें सहमति दी थी?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: In reply to a supplementary, I have already mentioned that the validity of the Act was not challenged. Only, the Allahabad Bank wanted to assert their rights. Particularly, so far as the status of the banks is concerned, they are allowed to function independently. They do not require the permission before filing a suit in the court.

श्री शंकर बयाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह देखिये, कोई उत्तर नहीं है। मैं इधर आपकी मदद चाहता हूँ। हर प्रश्न को इस तरह से सरकार अगर टरका देने की कोशिश करेगी तो जनता में हम भ्रम नहीं दिखा सकते। बैंको का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया। माननीय सदस्य इन्द्रजीत गुप्ता का सवाल बड़ा साफ है। हम यह जानना चाहते हैं, एक तो उनका जो सप्लीमेंट्री था उसका जवाब नहीं आया कि राष्ट्रीयकरण के पहले क्या प्राइवेट लोगों ने बैंको से बहुत बड़ी मात्रा में लोन लिया था उसका उत्तर नहीं आया (स्पष्टान)

मैं केवल स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री इन पर पूछ रहा हूँ कि राष्ट्रीयकृत बैंको ने समे इलाहाबाद बैंक तथा अन्य बैंक भी शामिल हैं जिनके नाम आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रश्न में है कि और भी हैं, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने के पहले सरकार से इस सम्बन्ध में पूछा था ?

अध्यक्ष महोदय : आप देखिये, यही प्रश्न इन्द्रजीत गुप्ता ने किया था जिसका जवाब मंत्री ने दिया कि आपने सिर्फ बैंकिंग के बारे में पूछा है दूसरी इन्फार्मेशन उन के पास नैवार नहीं है। तो यह आपका प्रश्न बही है जो इन्होंने पूछा है।

श्री शंकर बयाल सिंह : क्या सरकार के कार्यों में यह बात आई है या नहीं कि इस तरह की बैकला को कुर्बानी दी जा रही है ? आप इस बारे में नो में कहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिये इसको चुना फिरा कर ले आते हैं। अगर आपको कुछ प्रश्नों का जवाब मिलती है तो मैं रास्ते में बावक नहीं बनता हूँ।

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I have already said that the Government was not consulted.

श्री शंकर बयाल सिंह : यह तो और भी महत्वपूर्ण बात हुई कि सरकार को कलक्ट नहीं किया . . .

अध्यक्ष महोदय : अब बैठिये। एक जिरह शुरू कर देते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब इनसे यह पूछ लिया जाय कि इस जवाब के बाद जनता में भ्रम कैसे दूर किया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह बड़े होशियार हैं। जनता में हर शक खबरूरत ही नजर आयेगी।

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: The hon Minister has stated that the Allahabad Bank had given to Equitable Coal Company Rs. 1,20,00,000 as advance before nationalisation, and it is also said here that they are withdrawing the writ petition from the High Court. My question is whether Government is thinking of how to realise this outstanding money, the advance that was paid before nationalisation.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: The whole issue is under consultation with the other administrative Ministry; about how the amount would be realised and what arrangements will be made, due care is being taken.

श्री वाजपेयी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इन बैंकों के अलावा क्या कुछ आई० ए० एस्० अफसरों

और सरकार के अन्य कुछ विभागों ने भी मेसनसाइजेशन ऐक्ट की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी थी और बी बी तो उसका क्या हूण हुआ ?

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: I am prepared to reply for the Bank and not for the IAS officer.

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित पत्रकार

* 410. श्री धार० बी० बड़े : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये कितने पत्रकारों का आमन्त्रित किया गया ; और

(ख) उन पत्रकारों के नाम क्या हैं और वे किन-किन समाचार एजेंसियों और समाचार पत्रों में सम्बद्ध हैं ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA). (a) 456 during 1972—74

(b) A statement is laid on the Table of the House [Placed in Library See No LT-9233/75]

श्री धार० बी० बड़े : स्टेटमेंट में 456 लोगों के नाम हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इन पत्रकारों का चयन कौन करता है और इसके लिये कोई काइटीरिया आपके पास है या नहीं ?

श्री धर्मवीर सिंह : : पत्रकारों का चयन जो आकाशवाणी के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं और जो उन प्रोग्रामों के सम्बन्ध में होते हैं

उनके द्वारा किया जाता है। अगर कोई एपेपर्स और स्पॉट लाइट के लिये चयन होता है, तो डायरेक्टर आफ न्यूज सविसेज के द्वारा होता है। अगर दिल्ली स्टेशन के लिये होता है तो दिल्ली स्टेशन के डायरेक्टर करते हैं।

श्री धार० बी० बड़े : मैं जानना चाहता हूँ क्या चयन पोलिटिकल कन्सिडरेशन रखा जाता है—यह कम्युनिस्ट है, या जनसन्धी है या किसी दूसरी पार्टी का है ? 20-20 साल के एक्सपीरियन्स लोग हूँ तो हुये भी आप उनको नहीं बुलाते हैं, जो आपके फेवर का आदमी होता है उनको हूँ बुलाते हैं—इसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष जी, राजनीतिक कन्सिडरेशन में इनका चयन नहीं किया जाता है। इनके चयन में पत्रकारों की विशेष नवी कार्यकुशलता, उनका ज्ञान किननी जन्दी पत्रकार आकाशवाणी से काटेक्ट किये जा सकते हैं किननी जन्दी वे स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख कर चयन किया जाता है ?

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Expansion of Madras Atomic Power Project

*411 SHRI M. KATHAMUTHU. Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Government propose to expand Madras Atomic Power Project; and

(b) if so, the main features thereof and the steps being taken in this regard?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF SCIENCE AND